न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा राज०

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी:— हेमन्त कुमार घनघोर आर०ए०एस०

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
13 / 2017	07 / 11 / 2017	10 / 10 / 2025

देवेन्द्र सिंह पुत्र श्री शिवराज सिंह जाति राजपुत नि० फुलेता तह० उनियाना जिला टोंक

प्राथी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पीपल्दा जिला कोटा

अप्रार्थी

प्रार्थी की ओर से उपस्थित अधिवक्ताः— नन्दकिशोर पारेता एड०।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम नयागांव पटवार हलका कैथुदा में ख०नं० 14 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 15 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 17 रकबा 6 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नं. 58 रकबा 10 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 72 रकबा 9 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 73 रकबा 9 बीघा 8 बिस्वा कुल किता 6 कुल रकबा 41 बीघा 11 बिस्वा तथा खसरा नम्बर 9 / 91 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा भूमि मगनसिंह बल्द सरदारसिंह जाति राजपूत निवासी नयागांव के नाम सेटलमेंट से पूर्व संवत् 2009 से 2028 की जमाबन्दी में दर्ज रेकार्ड थी। मगन सिंह की मृत्यु के बाद में उक्त भूमि मोडसिंह पुत्र मगनसिंह जाति राजपुत नरूका निवासी नयागांव के दर्ज हुयी। तत्पश्चात उक्त भूमि विक्रय पंजीयन 18.3.1975 को प्रार्थी के पक्ष में उपपंजीयक पीपल्दा के यहा निष्पादित हुयी, तत्पश्चात प्रार्थी के पक्ष में उक्त भूमि 44 बीघा 8 बिस्वा भूमि का नामान्तकरण दर्ज होकर रेकार्ड खातेदार बनाया गया। दौराने सेंटलमेंट भू—प्रबन्ध विभाग उपरोक्त भूमि के ख०नं० 10 रकबा 0.43 हेक्टर खसरा नम्बर 239 रकबा 2.00 हैक्टर, ख०नं० 245 रकबा 2.86 हेक्टर कुल किता 3 रकबा 5.29 हेक्टर भूमि प्रार्थी के खाते दर्ज कर दी गई हैं, जबकि सैटलमेंट से पूर्व प्रार्थी के खाते में 44 बीघा 8 बिस्वा भूमि दर्ज थी, किन्तु सेटलमेंट विभाग वालो ने त्रुटिपूर्ण अंकन करते हुए वर्तमान खातेदारी में रकबा 5.29 हेक्टर यानि 33 बीघा 1 बिस्वा दर्ज कर दी, तथा सेटलमेंट विभाग द्वारा त्रुटिपूर्ण अंकन करते हुये, प्रार्थी के खाते में 11 बीघा 7 बिस्वा भूमि कम दर्ज कर दी। सेंटलमेंट से पूर्व आराजी ख०न० 14 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 15 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा, ख०नं० 17 रकबा 6 बीघा 14 बिस्वा भूमि प्राथी के खाते दर्ज थी, जिसके नवीन खसरा नम्बर 9 रकबा 0.90है०, खसरा नम्बर 62 रकबा 0.98 हेक्टर, कायम किये गये, जो कि सेंटलमेंट विभाग द्वारा त्रुटिपूर्ण अंकन करते हुये, प्रार्थी के खातेदारी में पड़े नहीं करते हुये, सिवाय चक दर्ज कर दिया है, जब कि उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि पर प्राथी का लगातार कब्जा चला आ रहा है। इस कारण प्राथी सेटलमेंट विभाग द्वारा की गई त्रूटि को दुरस्त करवाने का पूर्ण अधिकारी है। प्रार्थी ने सेटलमेंट विभाग द्वारा की गई त्रूटि को दुरस्त करने हेतु अप्रार्थी श्रीमान तहसीलदार साहब, पीपल्दा से निवेदन किया, किन्तु उनके द्वारा असमर्थता जाहिर करने के कारण श्रीमान के समक्ष प्रार्थना—पत्र पेश करना पडा है। प्रार्थना—पत्र पेश कर निवेदन किया कि सेटलमेंट विभाग से पूर्व प्रार्थी के खातेदारी में 44 बीघा 8 बिस्वा भूमि दर्ज थी, किन्तु सेंटलमेंट विभाग द्वारा त्रुटिपूर्ण अंकन करते हुये, प्रार्थी के खातेदारी में रकबा 5.29 हैक्टर भूमि दर्ज

की, तथा 11 बीघा 7 बिस्वा भूमि दर्ज कर दी, इस प्रकार सेंटलमेंट से पूर्व प्रार्थी के खाते में दर्ज खसरा नं0 14, 15 एवं 17 जिसके नवीन ख0नं0 9 एवं 62 कायम किए जो कि राजस्व रेकार्ड में सिवायचक दर्ज कर दिये हैं, इस कारण त्रूटिपूर्ण अंकन को दुरस्त करते हुयें, सिवायचक दर्ज खसरा नम्बरान को प्रार्थी के खातेदारी में दर्ज कर सेटलमेंट विभाग द्वारा की गई त्रूटि को दुरस्त फरमाने की कृपा करे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजि0 कर प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी ने जवाब पेश कर कथन किया कि प्रार्थना पत्र के बिन्दुओं को प्रार्थी स्वयं सिद्ध करे। मिलान क्षेत्रफल ग्राम नयागांव पटवार मण्डल कैथूदा तह0 पीपल्दा सं0 2041–60 की आंशिक नकल से साबिक खसरा नम्बरान के हाल खसरा नम्बर की स्थिति निम्नानुसार हैः–

हाल		साबिक	
ख0नं0	क्षेत्रफल	ख0नं0	क्षेत्रफल
9	0.90है0	14मि0 15 मि0	1 बीघा 14 बिस्वा 1 बीघा 11 बिस्वा
10	0.43है0	9/91 15 मि0	2 बीघा 17 बिस्वा –
239	2.00है0	58	10 बीघा 8 बिस्वा
245	2.86है0	72 73	9 बीघा 6 बिस्वा 9 बीघा 8 बिस्वा
62	0.98है0	17मि0	5 बीघा 13 बिस्वा

जिनमें से नवीन ख0नं0 9 रकबा 0.90है0 एवं ख0नं0 62 रकबा 0.98है0 को भू–प्रबंध विभाग द्वारा दौराने भू–प्रबंध प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज नहीं कर सिवायचक दर्ज कर दिया है जो सही है, परन्तु कमी रकबे की पूर्ति के लिए चाहे गए ख0नं0 9 रकबा 0.90है0 एवं ख0नं0 62 रकबा 0.98है0 की किस्म तीर है। उक्त खसरा नम्बरान के भू–प्रबंध कार्यवाही से पूर्व के खसरा नं0 14, ख0नं0 15, ख0नं0 17 थे जो खातौनी बन्दोबस्त मौजा नयागांव तह0 पीपल्दा जिला कोटा सम्वत 2009 लगायत 2028 के खाता सं0 12 में भी उक्त खसरा नम्बरान की किस्म तीर ही रही थी। तीर किस्म की भूमि जल प्रवाह क्षेत्र या जल स्त्रोतो से जुडी भूमि होने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत प्रतिबंधित भूमि की श्रेणी में आती है। प्रतिबंधित श्रेणी की भूमियों पर खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नहीं हो सकते। अब्दूल रहमान बनाम राजस्थान राज्य की जनहित याचिका में दिनांक 02.08.2004 को दिए गए निर्णय में भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्पष्ट निर्देशों में भी जल निकासी चेनलों को सरकारी भूमि घोषित करना एवं नालों में अवरोधो को हटाना शामिल है कि जल स्त्रोतों या नदी स्त्रोतों या जल प्रवाह क्षेत्रों का मूल स्वरूप परिवर्तित नहीं किया जा सकता है।

अतः ग्राम नयागांव पटवार मण्डल कैथूदा तह0 पीपल्दा की ख0नं0 9 रकबा 0.90है0 एवं ख0नं0 62 रकबा 0.98है0 भूमि की किस्म तीर प्रतिबंधित श्रेणी में होने से प्रार्थना पत्र ग्राह्य नहीं होने से खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 10.10.2025 को खुले न्यायालय लिखवाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
इटावा जिला कोटा